

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी  
सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 18/2021

तारीख दायरा 10.02.2021

उनवान

1. ओमप्रकाश आयु 48 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति मेहर।
2. मुकेश कुमार आयु 42 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति मेहर।
3. सुरेश कुमार आयु 38 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति मेहर।
4. सुनील कुमार आयु 29 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति मेहर निवासीगण ग्राम अडूसा तहसील सांगोद जिला कोटा।

—वादी

बनाम

1. छीतरलाल पुत्र किशनलाल जाति मेहर निवासी ग्राम अडूसा तहसील सांगोद ।
2. गीताबाई पुत्री छीतरलाल पत्नि चन्द्रप्रकाश जाति मेहर निवासी ग्राम माहिरा तहसील खानपुर जिला झालावाड ।
3. देवकन्या पुत्री छीतरलाल पत्नि दिनेश जाति मेहर निवासी ग्राम खानपुर तहसील खानपुर ।
4. सीताबाई पुत्री छीतरलाल जाति मेहर निवासी ग्राम अडूसा तहसील सांगोद ।
5. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जि.कोटा ।

—प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,209 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थित :-

श्रीबाबूलाल नागर (वकील वादी)

दिनांक :- 22.03.2021

श्री नाथूलाल नागर (वकील प्रतिवादी)



—निर्णय—

वादी ने इस न्यायालय में एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 4 प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र व पुत्रियां है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 2

अहमदाबाद पटवारी हलका कुन्दनपुर तह. सांगोद जिला कोटा में खाता सं. नई 32 पुरानी 31 कुल 8  
किता की 7.21 है. आराजी स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

नाम ग्राम	खाता सं.	ख.न.	रकबा हैक्टर
अहमदाबाद	नई 32	111	2.57
		287	0.34
		317	0.07
		342	0.18
		56	0.85
		613	0.01
		614	2.40
		635	0.79

कुल 8 किता की कुल 7.21 है. आराजी।?

उक्त वर्णित आराजी वादीगण के पिता प्रतिवादी सं.1 को वादीगण के दादाजी से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है जो कि वादीगण व प्रतिवादी न. 2 ता 4 की पुश्तैनी संपत्ति है। उक्त पुश्तैनी आराजी में वादीगण का प्रतिवादी सं.1 के साथ जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 ता 4 का प्रतिवादी सं.1 के साथ जन्म से ही बांट बराबर का हक व हिस्सा निहित है तथा वादीगण अपने उक्त पुश्तैनी हिस्से की आराजी को मौके पर शांति पूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सं.1 का नाम दर्ज होने से वादीगण को अपने पुश्तैनी हिस्से की आराजी पर कृषि ऋण प्राप्त करने व अन्य सरकारी सहायता प्राप्त करने से वंचित रहना पड रहा है। वादीगण अपने हिस्से की आराजी का विकास कार्य भी नहीं करवा पा रहे हैं। जब वादीगण ने प्रतिवादी सं.1 से तहसील कार्यालय में चलकर पुश्तैनी हिस्से के अनुसार आराजी में नाम दर्ज करवाने की कहने पर प्रतिवादी सं.1 टालमटूल कर रहे हैं तथा वादीगण द्वारा पटवारी हलका महोदय से भी मौके पर पुश्तैनी हिस्से के अनुसार आराजी में नाम दर्ज करने की कहने पर उनके द्वारा न्यायालय से आदेश लाने की कहने से वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वे

वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 ता 4 का बांट बराबर से अर्थात प्रत्येक का  $1/8-1/8$  हिस्से की घोषणा करवावे जिसके लिए माननीय न्यायालय में उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 4 के पक्ष में तथा प्रतिवादी सं.1 के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमाई जावें कि—

माल ग्राम अडूसा पटवार हलका कुन्दनपुर तहसील सांगोद की खाता स. नई 32 पुरानी 31 के ख.न. 111 की 2.57 है., ख.न. 287 की 0.34 है., ख.न. 317 की 0.07 है., ख.न. 342 की 0.18 है., ख.न. 56 की 0.85 है., ख.न. 613 की 0.01 है., ख.न. 614 की 2.40 है., ख.न. 635 की 0.79 है. कुल 8 किता की कुल 7.21 है. आराजी वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 ता 4 की पैतृक पुश्तैनी संपत्ति होने से उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 ता 4 का प्रतिवादी सं.1 के साथ बांट बराबर का अर्थात प्रत्येक का  $1/8-1/8$  हिस्सा निहित होने से वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 ता 4 को प्रतिवादी सं.1 के साथ प्रत्येक का  $1/8-1/8$  हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा उक्त घोषणा के क्रम में इन्द्राज दुरस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमाये जावें।


उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया, जवाद देही का अवसर दिया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री नाथूलाल नागर ने वकालतनामा मय इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया। इसके पश्चात समस्त पक्षकारान ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादी सं. 2 ता 4 ने अपने हिस्से की आराजी को वादीगण एवं प्रतिवादी सं.1 के हक में छोड़ना व्यक्त किया। वादी पक्षकारान की पहचान वकील वादी द्वारा की गई तथा प्रतिवादी पक्ष की पहचान वकील प्रतिवादी द्वारा की गई। राजीनाम पढकर सुनाया गया, सभी पक्षकारान ने राजीनामे में वर्णित तथ्यों पर सहमती व्यक्त की तथा राजीनामे के आधार पर वाद स्वीकृत करने की प्रार्थना की।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, इकबाली जवाब दावा, राजीनामा इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि—


माल ग्राम अडूसा पटवार हलका कुन्दनपुर तहसील सांगोद की खाता स. नई 32 पुरानी

111 की 2.57 है. ख.न. 287 की 0.34 है., ख.न. 317 की 0.07 है., ख.न. 342 की

79 है. कुल 8 किता की कुल 7.21 है. आराजी में वादीगण 1 ता 4 तथा प्रतिवादी सं.1 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है अर्थात प्रत्येक को 1/5-1/5 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 2 ता 4 के हिस्से तक की पंजीयन रिलीजडीड शुल्क पंजीयन कार्यालय में जमा कराये जाने पर ही उक्त आदेश की पालना की जावें। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहनभार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

  
(अंजना सहस्रवत)  
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

  
उपखण्ड अधिकारी (अंजना सहस्रवत)  
उपखण्ड अधिकारी सांगोद